

प्रारूप 21घ
(नियम 64 देखिए)
(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान
सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा


171-देवास विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचन
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा
करता हूँ कि -

श्रीमती गायत्री राजे पवार, पता आनन्द भवन पैलेस, ए.बी. रोड देवास जो
कि **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा
खड़ी की गई ।

उस सदन में,

श्री तुकोजीराव पवार के निधन के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप
से निर्वाचित हो गई है।

स्थान :- देवास
दिनांक :- 24.11.2015


(रजनीश कसेरा)
रिटर्निंग आफिसर
विधानसभा क्षेत्र - 171-देवास
रिटर्निंग आफिसर
वि.स.क्षेत्र 171-देवास (म.प्र.)